सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के तहत प्रधान मंत्री कार्यालय के संबंध में जानकारी

क्र.सं.	अधिनियम के तहत उपबंध	प्रधान मंत्री कायालय के संबंध में जानकारी
(i)	प्रधान मंत्री कार्यालय के गठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण	यह जानकारी प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाईट पर पहले से उपलब्ध है।
(ii)	इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	प्रधान मंत्री कार्यालय के सभी अधिकारियों (शीर्ष से लेकर अवर सचिव के स्तर तक) के काय-आवंटन को दर्शाने वाला एक चार्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है। अवर सचिव से नीचे स्तर के अधिकारी और कर्मचारी अनुभागों के माध्यम से उच्च अधिकारियों को सचिवालयी सहायता प्रदान करते हैं। अनुभागों का कार्य आबंटन वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध है।
(iii)	इसके द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई कार्य-पद्धति जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के माध्यम भी शामिल हैं।	वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी में निर्णय लेने की प्रक्रिया म अपनाई गई कार्य-पद्धति के बारे में विस्तार से बताया गया है। कार्य-आवंटन चार्ट में इस उपबंध के तहत जवाबदेही का भाग शामिल होगा।
(iv)	अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित किए गए मानदंड	प्रधान मंत्री कार्यालय के लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किए गए ह। मंत्रालयों/विभागों पर लागू सामान्य मानदंड/अनुदेश ही प्रधान

		मंत्री कार्यालय पर भी लागू होते हैं।
(v)	इसके कार्यों के निर्वहन के लिए इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश, नियमावली और अभिलेख	प्रधान मंत्री कार्यालय के लिए कोई विशिष्ट नियम, विनियम, नियमावली आदि नहीं हैं। मंत्रालयों/विभागों में लागू सामान्य नियम/विनियम आदि ही प्रधान मंत्री कार्यालय पर भी लागू होते हैं।
(vi)	इसके द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण	प्रधान मंत्री कार्यालय के पास ऐसे अनेक दस्तावेजों की श्रेणियां धारित हैं जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, विदेशी सरकारों, बहुराष्ट्रीय एजेंसियों, और सांसदों व विधायकों जैसे जन-प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि से मूल रूप से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा वे दस्तावेज भी धारित हैं जो प्रधान मंत्री के विवेकाधिकार के तहत विभिन्न कोषों से संबंधित होते हैं।
(vii)	नीति तैयार करने अथवा इसके कार्यान्वयन के संबंध में जन-सदस्यों के साथ परामर्श अथवा उनके द्वारा प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के संबंध में विवरण	चूंकि संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा नीतियां तैयार की जाती हैं और उनका कार्यान्वयन किया जाता है, इसलिए नीति तैयार करने अथवा उसका कार्यान्वयन करने में जन-सदस्यों के साथ परामर्श करने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय में कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है।
(viii)	इसके द्वारा गठित बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों, जिनमें दो	ऐसी विभिन्न समितियां/ परिषदें/निकाय हैं जिनकी प्रधान मंत्री अध्यक्षता करते हैं। इनमें से कई

	या दो से अधिक सदस्य हों, का विवरण। इसके अतिरिक्त, यह जानकारी कि इनकी बैठकें जनता के लिए खुली होती हैं अथवा इन बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ होते हैं।	समितियां/परिषदें अन्य मंत्रालयों/ विभागों द्वारा सेवित हैं। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली और प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा सेवित समितियों/ परिषदों का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध है। बैठकें आम जनता के लिए खुली नहीं होती हैं।
(ix)	इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की डायरेक्टरी	सभी अधिकारियों के नाम और पदनाम वेबसाइट पर पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं।
(x)	इसके हरेक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और इसके विनियमों में प्रावधानित क्षतिपूर्ति की व्यवस्था	प्रधान मंत्री कार्यालय के सभी अधिकारियों के वेतनमान और अधिकारियों के नाम व पदनाम वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध करा दिए गए हैं।
(xi)	इसकी हरेक एजेंसी को आबंटित बजट, इसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और संवितरण संबंधी रिपोर्टों के ब्यौरे बताए जाएं।	प्रधान मंत्री कार्यालय के पास किसी भी कार्यक्रम के लिए न तो बजट आबंटन होता है, न ही इसके सीधे नियंत्रण में कोई एजेंसी होती है।
(xii)	सब्सिडी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का तरीका और आवंटित धनराशि तथा इन कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा	प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा किसी भी सब्सिडी कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है।
(xiii)	ऐसे लोगों का ब्यौरा जिन्हें इसके द्वारा रियायतें, परमिट अथवा अधिकार-पत्र स्वीकृत किए जाते हैं।	इस कार्यालय द्वारा कोई भी रियायत, परमिट अथवा अधिकार-पत्र स्वीकृत नहीं किया जाता है। प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा संचालित प्रधान मंत्री

		राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष का संक्षिप्त विवरण वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है।
(xiv)	इसके पास इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित सूचना का ब्यौरा	यह सारी सूचना प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध की जा रही है जिसे इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचना के रूप में माना जा सकता है।
(xv)	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा, यदि पुस्तकालय अथवा अध्ययन कक्ष जनता के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है तो उसका कार्य-समय	प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा कोई सार्वजनिक-पुस्तकालय अथवा अध्ययन कक्ष नहीं बनाया गया है।
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य ब्यौरे	प्रधान मंत्री कार्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और पदनाम वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है।